



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-18062026-273563
CG-WB-E-18062026-273563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2981]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948

No. 2981]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन)

अधिसूचना

कोलकाता, 15 जून, 2026

का.आ. 3102(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना की बाबत उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी के स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	देशप्राण-नंदीग्राम (17 किमी.) नई लाइन	पश्चिम बंगाल	जिला: पूर्व मेदिनापुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल।

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/डी-एन/एसआरपी/163/भाग-II/सीएएलए/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Eastern Railway/Construction Organization)

NOTIFICATION

Kolkata, the 15th June, 2026

S.O. 3102(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (5) of the Table below to perform the functions of the competent authority in respect of the special railway project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Special Project	Railway	State	Territorial Jurisdiction	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Deshpran-Nandigram (17 Km.) new Line		West Bengal	District: Purba Medinipur	Additional District Magistrate (LA), Purba Medinipur, West Bengal.

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/D-N/SRP/163/Pt-II/CALA/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)